

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
जो इत  
में

प्रस्तुत नहीं किया है। और न ही वकील वादी द्वारा  
यदि यह चान नहीं कि गई है। यदि वादी द्वारा प्रकरण  
को नहीं चलाना चाहते हैं। तो वकील वादी के हस्ताक्षर  
भी आवश्यक होते हैं। जो प्रार्थना पत्र पर नहीं है। ऐसी  
स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं माना जाता है।  
अतः प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण को आगे नहीं  
चलाने का खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्तव में साक्ष्य  
वादी में दिनांक 23-11-23 को पेश है।

23.11.23

पत्रावली पेश हुई S.D.O. सा. चुनाव कार्य में अस्त है।

अब पत्रावली पुनर्पुनः दिनांक 23.1.24 को पेश है।

23-1-24

पत्रावली पेश हुई S.D.O. सा. नगरीय केम्प में पधार है।  
वकील वादी उप.

अब पत्रावली पुनर्पुनः दिनांक 8-2-24 को पेश है।

8-2-24

पत्रावली पेश हुई S.D.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त है।  
वकील वादी उप.

अब पत्रावली पुनर्पुनः दिनांक 11-3-24 को पेश है।

9-3-24

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई  
प्रकरण वादी/ प्रतिवादी गण के मध्य लोक अदालत  
की भावना से प्रेरित होकर आयसी से राजी  
नामा होने से वकील वादी द्वारा प्रकरण को नोट प्रेस  
किया गया है। प्रकरण नोट प्रेस किया जाने से फैसल  
शुमार होकर नम्बर से कम है।

Handwritten signature